

सत्यमेव जयते

GOVT. OF INDIA  
OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER,  
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,  
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,  
ANDHERI (E), MUMBAI-400 096.  
Tel: 022-28294703/28294756  
Fax: 022-28291754, E-mail: [desepz\\_mah@nic.in](mailto:desepz_mah@nic.in)

F. No. SEEPZ-SEZ/EKIP-SEZ/AMO&S/20/2013-14/VOL-111

Date: 07.05.2018

Public Notice No. 446

Sub: Change of Name of Company in SEZ-reg.


Attention of all the SEZ units and other stakeholders is invited to Condition No. 13 of Bond-Cum-LUT (FORM-H) which stipulates that:

*"we the obligors shall not change the name and style under which we, the obligors are doing business or change the location of the manufacturing premises except with the written permission of the Development Commissioner."*

Of late it has been observed that the SEZ units are submitting their application for change of name to this office on the strength of Certificate of Incorporation issued by Registrar of Company who is the competent authority for this purpose. However the change of name of the entity is done by the Registrar of Company as per the availability of the name.

Therefore all the units under the zone are hereby directed to intimate the Development Commissioner about the application for change of name being submitted to the Registrar of Company. Once the name change is approved by the Registrar of Company, unit shall submit the copy of the same to the Development Commissioner for approval within one month from the date of issuance of the certificate. This procedure must be followed by all the units under the zone without fail.

This issues with the approval of Development Commissioner.

  
(Pravin Chandra)  
Jt. Development Commissioner  
SEEPZ-SEZ (PUNE CLUSTER)

To,  
All SEZ Units/Developer under the  
Jurisdiction of DC, SEEPZ-SEZ

Copy to:

1. Website
2. Public Notice Register
3. Notice Board

भारत सरकार

विकास आयुक्त का कार्यालय

सीपज विशेष आर्थिक क्षेत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

अंधरी (पूर्व), मुंबई - 400096

टेली: 022-28294703/28294756

फैक्स: 022-28291754, ई-मेल: [dceseepz\\_mah@nic.in](mailto:dceseepz_mah@nic.in)

फा.सं. सीपज-सेज/ईकेआइपी-सेज/एएमओएएस/20/2013-14/वॉल्यू-111

दिनांक 07.5.2018

## सार्वजनिक सूचना संख्या 46

विषय:- सेज में स्थित कंपनी के नाम में परिवर्तन के संबंध में ।

सभी सेज यूनिटों तथा स्टेकरहॉल्डर्स का ध्यान बंधपत्र सह विधिक वचनबंध (फॉर्म एच) की शर्त संख्या 13 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह अनुबंधित है:-

“हम, बाध्यताधारी विकास आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना जिस नाम तथा शैली से अपना व्यापार कर रहे हैं अथवा हमारे विनिर्माण का जो स्थान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे” ।

हाल ही में यह देखने में आया है कि सेज यूनिट निगमन प्रमाणपत्र जोकि की कंपनी रजिस्टार द्वारा जारी किया जाता है तथा जो इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, के आधार पर इस कार्यालय में नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं । तथापि, कंपनी के नाम में परिवर्तन कंपनी रजिस्टार द्वारा नाम की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है ।

अतएव, इस क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी यूनिटों को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे कंपनी रजिस्टार को नाम में परिवर्तन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनों की सूचना विकास आयुक्त को दें । कंपनी रजिस्टार द्वारा नाम में परिवर्तन किए जाने का अनुमोदन किए जाने के पश्चात यूनिट प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से एक महीने के अंदर इसकी प्रति विकास आयुक्त को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें । इस प्रक्रिया का अनुसरण क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी यूनिटों द्वारा अवश्य किया जाए ।

यह विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

  
(प्रवीण चंद्र)

संयुक्त विकास आयुक्त,

सीपज - सेज (पुणे)

प्रति,

विकास आयुक्त, सीपज - सेज के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी सेज यूनिट तथा विकासक

प्रतिलिपि:-

1. वेबसाइट
2. सार्वजनिक सूचना रजिस्टार
3. सूचना पट्ट